[2024] 2 एस.सी.आर 288 : 2024 INSC 104

मल्लप्पा और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1162/2011)

12 फ़रवरी, 2024

[बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा,,जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त क्रमांक 3, 4 एवं 5 को 'M' नामक व्यक्ति की हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया था। तथापि, उच्च न्यायालय ने उक्त दोषमुक्ति के आदेश को पलटते हुए अपीलार्थियों को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया। क्या उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति आदेश को उलटकर अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना विधिसम्मत एवं न्यायोचित था

शीर्ष टिप्पणीयाँ

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 - दोषमुक्ति के संदर्भ में- अभियोजन के अनुसार, आठ अभियुक्त व्यक्तियों ने कुल्हाड़ियों, चाकुओं एवं लाठियों से लैस होकर 'M' पर हमला किया और उसकी पिटाई की- पीडब्लू -4 ने वहाँ से भागने का प्रयास किया, किंतु उस पर कुल्हाड़ी से उसके सिर, पीठ तथा अंडकोष पर प्रहार किया गया,- जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा - पीडब्लू-3 ने अपनी जान बचाने हेतु झाड़ियों के भीतर छिपकर स्वयं को सुरक्षित रखा- हमलावरों के चले जाने के पश्चात पीडब्लू-3 बाहर आया और उसने देखा कि 'M' की मृत्यु हो चुकी थी तथा पीडब्लू-4 अचेत अवस्था में था और उसके घावों से रक्त बह रहा था- पीडब्लू-3 अपनी जान के भय से वहीं छिपा रहा और रात्रि में वहाँ से चला गया - अगले दिन उसने पीडब्लू-2 (मृतक के पिता) को घटना की सूचना दी -उक्त घटना के संबंध में आठों

अभियुक्तों का विचारण किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा सभी को दोषमुक्त कर दिया गया - उच्च न्यायालय ने भी सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया, सिवाय तीन अपीलार्थियों के, जिन्हें दोषी ठहराया गया - क्या उच्च न्यायालय द्वारा अन्य सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए केवल तीन अपीलार्थियों को दोषी ठहराना विधिसम्मत एवं न्यायोचित था?- वैधता

अभिनिर्धारित: वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन का मामला मुख्यतः पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के कथनों पर, विभिन्न दस्तावेजों–विशेषतः चिकित्सीय परीक्षण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ आधारित है।- तथापि, पीडब्लू-3 के आचरण से घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति ही संदिग्ध प्रतीत होती है।- अनेक अभियुक्तों द्वारा किए गए गंभीर हमले के बावजूद पीडब्लू-3 को कोई चोट नहीं आई,- जबकि उसके कथनानुसार अभियुक्त क्रमांक 3 (A-3) ने पीडब्लू-4 पर हमला करते समय उसका पीछा भी किया था।- यह अत्यंत संदेहास्पद है कि हमलावरों ने पीडब्लू-3 का पीछा झाड़ियों के पीछे तक नहीं किया, जबकि उन्हें ज्ञात था कि वह प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है।- झाड़ियों के पीछे छिपने के बाद की पीडब्लू-3 की कहानी भी उतनी ही अविश्वसनीय प्रतीत होती है और अनेक प्रश्न खड़े करती है।- समय-क्रम, पीडब्लू-3 द्वारा अपनाया गया मार्ग, गंभीर रूप से घायल पीडब्लू-4 की उपेक्षा, तथा पुलिस चौकी तक पहुँच होने के बावजूद सूचना न देना–ये सभी परिस्थितियाँ अभियोजन की संपूर्ण कहानी पर युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न करती हैं। - अतः पीडब्लू-3 के कथन से निर्मित परिस्थितियों की श्रृंखला अभियुक्तों के दोषसिद्धि के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं है।-पीडब्लू-4 के कथन के अनुसार, उस पर A-3 द्वारा पीछे से हमला किया गया, जिसके पश्चात वह अचेत हो गया।- पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 दोनों के अनुसार, पीडब्लू-4 पर कुल्हाड़ी से सिर, पीठ एवं अंडकोष पर प्रहार किया गया।- इस कथन के समर्थन हेतु प्रथम दृष्टया हमले के बाद की परिस्थितियों का परीक्षण आवश्यक है। - पीडब्लू-4 पर हमला लगभग सायं 4 बजे हुआ और वह तत्पश्चात अचेत हो गया। वह अगले दिन लगभग 12:30 बजे “स्वयं भर्ती” होने तक अचेत ही रहा।- दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पीडब्लू-8 द्वारा सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान जारी किए गए चोट प्रमाणपत्र से प्राप्त होता है। - विचारण न्यायालय ने उक्त प्रमाणपत्र पर भरोसा करते हुए यह पाया कि भर्ती के समय पीडब्लू-4 की स्थिति के संबंध में विरोधाभास है–एक ओर उसे “स्वयं भर्ती” बताया गया है, जबकि दूसरी ओर उसे अचेत बताया गया है। - प्रमाणपत्र के अनुसार पीडब्लू-4 की चोटें

साधारण प्रकृति की थीं।- पीडब्लू-8 द्वारा उपचार तो किया गया, परंतु उपचार का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया।- सामान्य परिस्थितियों में, कुल्हाड़ी से इस प्रकार किए गए हमले, जिससे व्यक्ति तत्काल अचेत हो जाए और लगभग 20 दिनों तक अचेत रहे, को साधारण चोट नहीं माना जा सकता। - उच्च न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया–पहला, पीडब्लू-4 का बयान घटना के लगभग एक माह पश्चात दर्ज किया गया, जो उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है; - और दूसरा, पीडब्लू-4 का मृतक से पारिवारिक संबंध, जो उसे पक्षपाती बना सकता है। - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता, विधि या तथ्य की त्रुटि अथवा तर्क में विकृति इंगित किए बिना, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाते हुए दोषमुक्ति के आदेश को पलट दिया। - अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी स्पष्ट अवैधता, त्रुटि या विकृति पाए, विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति आदेश को पलटने में त्रुटि की। **[पैरा 29, 30, 33, 34, 39]**

दंड विधि शास्त्र - दंड विधि शास्त्र मूलतः इस वचन पर आधारित है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया नहीं जाएगा - आपराधिक विधि के सभी संरक्षण एवं न्यायशास्त्रीय सिद्धांत न्याय की किसी भी विफलता को रोकने के उद्देश्य से निर्मित हैं - दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय लागू होने वाले सिद्धांतों का सार इस प्रकार किया जा सकता है:

अभिनिर्धारित: (i) साक्ष्यों का मूल्यांकन आपराधिक विचारण का मूल तत्व है और ऐसा मूल्यांकन समग्र होना चाहिए, जिसमें मौखिक एवं दस्तावेजी सभी प्रकार के साक्ष्य सम्मिलित हों;(ii) साक्ष्यों का आंशिक या चयनात्मक मूल्यांकन न्याय की विफलता का कारण बन सकता है तथा यह अपने आप में चुनौती का आधार है;(iii) यदि साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो सामान्यतः वह दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जो अभियुक्त के पक्ष में हो;(iv)यदि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विधिसम्मत एवं संभाव्य है, तो मात्र विपरीत दृष्टिकोण की संभावना के आधार पर दोषमुक्ति को पलटना उचित नहीं है;(v) यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर

दोषमुक्ति को पलटने का इच्छुक है, तो उसे विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के सभी कारणों पर विशिष्ट रूप से विचार करना होगा तथा सभी तथ्यों को समाविष्ट करना होगा;(vi) दोषमुक्ति से दोषसिद्धि में परिवर्तन के मामलों में, अपीलीय न्यायालय को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता, विकृति या विधि अथवा तथ्य की त्रुटि विद्यमान है। [पैरा 36]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - अपीलीय अधिकार - उच्च न्यायालय की सीमित शक्ति:

अभिनिर्धारित : अपीलीय अधिकारों के प्रयोग में उच्च न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या पुनः परीक्षण करने पर कोई रोक नहीं है। तथापि, साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन की यह शक्ति एक सीमित शक्ति है, विशेषतः तब जब चुनौती के अधीन आदेश दोषमुक्ति का हो।प्रथम और प्रमुख प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित एवं पूर्ण मूल्यांकन किया है तथा सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर उचित विचार किया है।दूसरा विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है या उसमें विधि अथवा तथ्य की कोई त्रुटि है।यदि ऐसा नहीं है, तो तीसरा विचारणीय पहलू यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक युक्तिसंगत एवं संभाव्य दृष्टिकोण है।दोषमुक्ति के निर्णय को मात्र मतभेद के आधार पर पलटा नहीं जा सकता; इसके लिए अवैधता या विकृति का होना आवश्यक है। [पैरा 25]

दंड विधि शास्त्र - दो दृष्टिकोण सिद्धांत - पुनः प्रतिपादित।

उदघृत निर्णयजन्य विधि

सेल्वराज बनाम कर्नाटक राज्य, [2015] 9 SCR 381 :(2015) 10 SCC 230; संजीव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2022) 6SCC 294; सनवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य, [1961] 3 SCR 120 : AIR 1961 SC 715; शरद बिरदीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1985] 1 SCR 88 : (1984)4 SCC 116 - पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों कि सूची:

दण्ड संहिता, 1860;आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973.

प्रमुख शब्दों की सूची

हत्या; दोषमुक्ति; गवाहियाँ; परिस्थितियों की शृंखला; उचित संदेह; साक्ष्य का मूल्यांकन; अवैधता, विधि या तथ्य की त्रुटि; उच्च न्यायालय की सीमित शक्ति; आपराधिक न्यायशास्त्र; दो-दृष्टिकोण सिद्धांत; महत्वपूर्ण साक्ष्य

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1162 वर्ष 2011

बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 31.05.2010 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध CRLA संख्या 1363, वर्ष 2005

अधिवक्तागण

बसवप्रभु पाटिल, वरिष्ठ वकील, सुश्री सुप्रीता शरणगौड़ा,शरणगौड़ा पाटिल, अधिवक्ता - अपीलकर्ताओं के लिए.

निशांत पाटिल, ए.ए.जी., डी. एल. चिदानंद, अधिवक्ता - प्रतिवादी के लिए

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

सतीश चंद्र शर्मा,जे न्यायमूर्ति

1. न्याय के चक्र भले ही धीमी गति से चलते हों, परंतु वे अत्यंत सूक्ष्मता से चलते हैं।मल्लप्पा- निंगप्पा कन्नेर का पुत्र, हनमंथ- निंगप्पा कन्नेर का पुत्र तथा धरमन्ना- निंगप्पा कन्नेर का पुत्र, वर्तमान अपील में हमारे समक्ष अपीलार्थी हैं, जिन्हें अभियुक्त क्रमांक 3, 4 एवं 5 के रूप में मृतक मार्तंडप्पा की हत्या के आरोप में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था। इन्हें दिनांक 24.03.2005 को गुलबर्गा स्थित विचारण न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट- I द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।उक्त निर्णय से अपीलार्थियों का भाग्य अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुआ, क्योंकि कर्नाटक राज्य ने विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसे आपराधिक अपील क्रमांक 1363/2005 के रूप में पंजीकृत किया गया। दिनांक 31.05.2010 को उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश को पलटते हुए अपीलार्थियों को मृतक मार्तंडप्पा की हत्या का दोषी ठहराया। परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

   अपीलार्थी अब हमारे समक्ष उपस्थित होकर उच्च न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश को चुनौती दे रहे हैं तथा स्वयं को निर्दोष घोषित किए जाने की प्रार्थना कर रहे हैं।

2. उल्लेखनीय है कि कुल आठ अभियुक्तों का विचारण किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा सभी को दोषमुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने भी सभी अभियुक्तों की दोषमुक्ति को बरकरार रखा, सिवाय वर्तमान तीन अपीलार्थियों के।

<u>अभियोजन पक्ष का मामला</u> :

2. अभियोजन का मामला नागम्मा से प्रारंभ होता है, जो अभियुक्त क्रमांक 5 की पत्नी है, और यह आरोप है कि मृतक मार्तंडप्पा के साथ उसका अवैध संबंध था। इस कथित अवैध संबंध के कारण अभियुक्त क्रमांक 1 से 8 तथा मार्तंडप्पा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।दिनांक 28.06.1997 को, जो कि घटना का दिन था, मार्तंडप्पा (मृतक), पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 बैलगाड़ी से ग्राम ऐडभवी से ग्राम नगराल अपनी कृषि भूमि की जुताई हेतु जा रहे थे। वे प्रातः लगभग 9 बजे पीडब्लू-2 (मृतक के पिता) के घर से

बैलगाड़ी द्वारा नगराल के लिए रवाना हुए। पीडब्लू-2 की कृषि भूमि ऐडभवी तथा नगराल दोनों स्थानों पर स्थित थी।जब वे नगराल ग्राम की ओर जा रहे थे, तब वे शांतपुर ग्राम को पार कर चुके थे। लगभग सायं 4 बजे, जब उनकी बैलगाड़ी बलवंतप्पा चन्नूर की भूमि के निकट पहुँची, तब अभियुक्त क्रमांक 1 से 8 अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बैलगाड़ी को रोक लिया।

4. अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त क्रमांक 3, 4 एवं 6 कुल्हाड़ियों (MO1s. 5, 6 एवं 7) से लैस थे; अभियुक्त क्रमांक 5 चाकू (MO8) से सुसज्जित था; तथा अभियुक्त क्रमांक 1, 2, 7 एवं 8 डंडों (MOs 9, 10 एवं 1) से लैस थे। अभियुक्तों ने मार्तंडप्पा को यह कहते हुए धमकाना शुरू किया कि उसके अवैध आचरण के कारण गाँव की महिलाओं का जीवन शांतिपूर्वक नहीं चल पा रहा है, और तत्पश्चात उसे मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़े।अभियुक्त क्रमांक 3 ने कुल्हाड़ी से उसके दाहिने पैर पर प्रहार किया, जिससे उसे चोटें आईं। अभियुक्त क्रमांक 4 ने भी कुल्हाड़ी से उसके पेट के दाहिने हिस्से पर पाँच-छह बार प्रहार किया। अभियुक्त क्रमांक 5 ने चाकू से मार्तंडप्पा के होंठ तथा पीठ पर वार किया। अभियुक्त क्रमांक 6 ने कुल्हाड़ी से उसके दाहिने एवं बाएँ कनपटी क्षेत्र तथा ठुड्डी पर प्रहार किया, और साथ ही उसकी जाँघ पर भी कुल्हाड़ी से वार किया।हमला जारी रहने के दौरान, अभियुक्त क्रमांक 7 ने बैलगाड़ी के खूंटे से मार्तंडप्पा के सिर पर प्रहार किया। अभियुक्त क्रमांक 1, 2 एवं 8 ने डंडों से उसकी पीठ पर प्रहार किया।

5. अपनी जान के भय से पीडब्लू-4 वहाँ से भागने का प्रयास करने लगा, उसी समय अभियुक्त क्रमांक 3 (A-3) ने उस पर कुल्हाड़ी से उसके सिर, पीठ तथा अंडकोष पर प्रहार किया। पीडब्लू-4 को गंभीर चोटें आईं, वह अचेत हो गया और भूमि पर गिर पड़ा।

6. पीडब्लू-3, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, अपनी जान बचाने के लिए भागकर झाड़ियों के भीतर छिप गया और वहीं से उसने पूरी घटना देखी। अंततः मार्तंडप्पा भूमि पर गिर पड़ा और अभियुक्त क्रमांक 1 से 8, यह समझकर कि मार्तंडप्पा की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ से चले गए।स्थिति सुरक्षित जानकर पीडब्लू-3 बाहर आया और उसने देखा कि

मार्तंडप्पा की मृत्यु हो चुकी है। उसने यह भी देखा कि पीडब्लू-4 अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके घावों से रक्त बह रहा है। तत्पश्चात पीडब्लू-3 अपनी जान के भय से पुनः झाड़ियों के बीच छिपा रहा और रात्रि के दौरान वह वहाँ से निकलकर देवपुरा चला गया।अगले दिन पीडब्लू-3 ग्राम ऐडभवी स्थित पीडब्लू-2 के घर पहुँचा और उसे घटना की जानकारी दी। इसके पश्चात पीडब्लू-2 घटनास्थल पर गया और उसने मार्तंडप्पा का शव देखा तथा पीडब्लू-4 को भी अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ा हुआ पाया।इसके बाद, दिनांक 29.06.1997 को लगभग 3:00 बजे पीडब्लू-2 थाना शोरापुर पहुँचा और पीडब्लू-10 के समक्ष लिखित शिकायत (एक्स.P1) दर्ज कराई। पीडब्लू-10 ने अपराध क्रमांक 78/97 के रूप में प्रकरण दर्ज किया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) (एक्स.P13) को पीडब्लू-1 के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शोरापुर को प्रेषित किया। एफआईआर की प्रति लगभग 4:30 बजे जेएमएफसी को सौंपी गई।

7. तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.06.1997 को लगभग 12:30 बजे पीडब्लू-4 सरकारी अस्पताल, शोरापुर गया और वहाँ डॉक्टर (पीडब्लू-8) से मिला। उसने अपनी चोटें डॉक्टर को दिखाईं, जिस पर पीडब्लू-8 ने पीडब्लू-4 के शरीर पर तीन साधारण चोटें पाईं और उसका उपचार किया तथा आगे के उपचार हेतु उसे सरकारी अस्पताल, गुलबर्गा भेज दिया। गुलबर्गा के चिकित्सक ने पीडब्लू-4 का उपचार किया और पीडब्लू-8 को एक साधारण चोट प्रमाणपत्र (एक्स.P12) जारी किया।मामला दर्ज होने के पश्चात पीडब्लू-10, पीडब्लू-9 के साथ शोरापुर ग्राम स्थित घटनास्थल पर गया, जहाँ उसने मार्तंडप्पा का शव देखा और पंचों (पीडब्लू-7 एवं मल्लेशी) को बुलाया। पंचों की उपस्थिति में उसने मार्तंडप्पा के शव का पंचनामा एक्स.P9 के अनुसार तैयार किया। दिनांक 29.06.1997 को सायं 4:30 बजे से 6:00 बजे के मध्य यह कार्यवाही की गई। तत्पश्चात पीडब्लू-10 ने पीडब्लू-9 को एक्स.P2 के अनुसार अनुरोध पत्र देकर शव को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल, कक्केरा भेजा।पीडब्लू-9 ने मार्तंडप्पा के शव को सरकारी अस्पताल, कक्केरा ले जाकर पीडब्लू-5 (चिकित्सक) को सौंपा, जहाँ दिनांक 30.06.1997 को प्रातः लगभग 6:30 बजे पोस्टमार्टम किया गया।इसके अतिरिक्त,

दिनांक 29.06.1997 को पीडब्लू-10 ने पंचों (पीडब्लू-7 एवं मल्लेशी) की उपस्थिति में घटनास्थल का पंचनामा (एक्स.P10) तैयार किया। घटनास्थल से MO-1 (बैलगाड़ी का खूंटा), MO-12 (चप्पल की जोड़ी), MO-13 (तौलिया), MO-14 (रक्तरंजित मिट्टी), MO-15 (नमूना मिट्टी), MO-16 (तैता) तथा MO-17 (कमर का धागा) जब्त किए गए और उन पर पंचों के हस्ताक्षरयुक्त पर्चियां लगाई गईं।

8. दिनांक 30.06.1997 को प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच पीडब्लू-5 (चिकित्सक) ने मार्तंडप्पा के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया। चिकित्सक ने शव पर 9 पूर्व-मृत्युकालीन चोटें पाईं और एक्स.P3 के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की, जिसमें मृत्यु का कारण यकृत ऊतक के फटने के परिणामस्वरूप उत्पन्न रक्तस्रावी शॉक बताया गया। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 36 से 48 घंटे पूर्व बताया गया। चिकित्सक ने शव पर पाए गए वस्त्र एवं सामग्री (MOs) पीडब्लू-9 (पुलिस कांस्टेबल) को सौंप दी तथा शव भी उसे सुपुर्द किया। इसके पश्चात पीडब्लू-9 ने शव को मार्तंडप्पा के परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया।शव पर पाए गए वस्त्र एवं सामग्री को पीडब्लू-9 कक्केरा से लाकर पीडब्लू-10 के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्हें पीडब्लू-10 ने पंचों (पीडब्लू-7 एवं मल्लेशी) की उपस्थिति में एक्स.P11 के अनुसार जब्त किया (MO-1 से MO-4)। इसके बाद पीडब्लू-10 ऐडभवी ग्राम गया और साक्षियों के बयान दर्ज किए। तत्पश्चात वह मुदगल गया और नागम्मा (अभियुक्त क्रमांक 5 की पत्नी) का बयान दर्ज किया।

9. दिनांक 01.07.1997 को पीडब्लू-10 ने बलवंतप्पा का बयान दर्ज किया। दिनांक 04.07.1997 को प्रातः लगभग 5:30 बजे टिंटिनी पुल पर पीडब्लू-10 ने अभियुक्त क्रमांक 5 (A-5) को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। A-5 ने सूचना दी कि वह अपने घर से चाकू बरामद करा सकता है, जिससे एक्स.P14 के अनुसार बरामदगी हुई। इसके पश्चात A-5 ने पीडब्लू-10 एवं पंचों (पीडब्लू-6 एवं यमनप्पा) को ऐडभवी स्थित अपने घर ले जाकर एक चाकू (MO-8) एवं एक कुल्हाड़ी (MO-5) प्रस्तुत की, जिन्हें पीडब्लू-10 ने एक्स.P14 के अनुसार जब्त किया। पीडब्लू-10 ने तत्पश्चात

जेएमएफसी, शोरापुर से A-5 की न्यायिक हिरासत रिमांड प्राप्त की तथा जब्त संपत्तियों को अपने पास रखने की अनुमति ली।दिनांक 14.07.1997 को प्रातः लगभग 4:00 बजे पीडब्लू-10 ने शोरापुर बस स्टैंड से अभियुक्त क्रमांक 1 से 4 (A-1 से A-4) को गिरफ्तार कर थाने लाया और पूछताछ की। A-1 ने एक्स.P15 के अनुसार सूचना दी, A-2 ने एक्स.P16 के अनुसार तथा A-3 ने एक्स.P17 के अनुसार सूचना दी, जिससे बरामदगी हुई। इसके पश्चात दिनांक 15.07.1997 को A-1 ने पुलिस एवं पंचों (पीडब्लू-6 एवं यमनप्पा) को अपने घर ले जाकर एक डंडा (MO-9) प्रस्तुत किया, जिसे पीडब्लू-10 ने एक्स.P5 के अनुसार जब्त किया और पंचों के हस्ताक्षर लिए।इसके बाद A-2 ने अपने घर से एक डंडा (MO-10) प्रस्तुत किया, जिसे पीडब्लू-10 ने एक्स.P7 के अनुसार जब्त किया। A-3 ने ऐडभवी स्थित अपने घर से एक कुल्हाड़ी (MO-7) प्रस्तुत की, जिसे पीडब्लू-10 ने एक्स.P6 के अनुसार जब्त किया और पंचों के हस्ताक्षर लिए। तत्पश्चात पीडब्लू-10 ने A-1 से A-4 की न्यायिक हिरासत रिमांड जेएमएफसी, शोरापुर से प्राप्त की।दिनांक 25.07.1997 को पीडब्लू-10 ने A-7 को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। दिनांक 17.07.1997 को प्रातः 6:30 बजे A-6 को गुरगुंटा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। A-6 ने एक्स.P18 के अनुसार सूचना दी, जिसके आधार पर उसके घर से एक चाकू (MO-8) बरामद किया गया, जिसे पीडब्लू-10 ने एक्स.P8 के अनुसार जब्त किया। इसके पश्चात A-6 को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया।अंततः, दिनांक 07.10.1997 को पीडब्लू-10 ने सभी जब्त वस्तुओं को पीडब्लू-9 के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी , बेंगलुरु भेजा।

10. दिनांक 07.08.1997 को पीडब्लू-10 ने पीडब्लू-4 का बयान दर्ज किया। दिनांक 22.08.1997 को पीडब्लू-10 ने चिकित्सक (पीडब्लू-5) से पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स.P3) प्राप्त की। दिनांक 30.08.1997 को पीडब्लू-9 बेंगलुरु स्थित FSL कार्यालय से वापस आया और सभी वस्तुओं को पुनः सीलबंद अवस्था में पीडब्लू-10 के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्हें पीडब्लू-10 ने जब्त किया। उसी दिन पीडब्लू-10 ने लक्ष्मण (पीडब्लू-4) का चोट प्रमाणपत्र (एक्स.P12) भी प्राप्त किया। दिनांक 14.09.1997 को पीडब्लू-10 को एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.P19 एवं एक्स.P20) प्राप्त हुई।

11. जांच पूर्ण करने के उपरांत, अन्वेषण अधिकारी ने दिनांक 29.09.1997 को जेएमएफसी, शोरापुर के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया। जेएमएफसी न्यायालय, शोरापुर ने दिनांक 19.01.1998 को प्रकरण को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द करने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात अभियुक्तगण दिनांक 22.03.2002 को प्रधान सत्र न्यायाधीश, गुलबर्गा के समक्ष उपस्थित हुए। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 147, 148, 149, 302, 307 एवं 504 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए, जिनका अभियुक्तों ने दोष स्वीकार नहीं किया तथा विचारण की मांग की।अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में पीडब्लू-1 से पीडब्लू-10 तक साक्षियों का परीक्षण कराया तथा एक्स.P1 से एक्स.P21 तक दस्तावेजों एवं MO-1 से MO-17 तक सामग्री वस्तुओं को प्रदर्शित किया और तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य बंद किया। प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने समर्थन में एक्स.D1 को प्रदर्शित किया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के उपरांत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 के अंतर्गत सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।उक्त दोषमुक्ति आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और दिनांक 31.05.2010 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 3 से 5 (वर्तमान अपीलार्थी) को दोषी ठहराया तथा अभियुक्त क्रमांक 1, 2, 6, 7 एवं 8 के संबंध में दोषमुक्ति आदेश को यथावत रखा।

12. इस कार्यवाही के दौरान हमें सूचित किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 3 का देहांत हो चुका है, अतः वर्तमान अपील केवल अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 तक सीमित रह गई है।

13. पक्षकारों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत मामलों का विवेचन करने से पूर्व, यह उपयुक्त होगा कि हम संक्षेप में उन कारणों का उल्लेख करें जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कारणों से अभियुक्तों को दोषमुक्त किया:

(i) प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-3 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा घटना के पश्चात उसका आचरण कृत्रिम प्रतीत होता है।

(ii) अभियोजन के अनुसार पीडब्लू-3 ने मृतक तथा पीडब्लू-4 पर हमला होते देखा, तथापि वह भयवश सूर्यास्त तक झाड़ियों में छिपा रहा, जो अस्वाभाविक है।

(iii) पीडब्लू-3 ने स्वीकार किया कि लिंगसुगुर से शोरापुर एवं गुलबर्गा के बीच बसों का नियमित आवागमन था, फिर भी उसका यह कथन कि वह अगले दिन प्रातः 6:00 बजे ही बस पकड़ सका, कृत्रिम है; वह 28.06.1997 को ही हमलावरों के चले जाने के पश्चात यात्रा कर सकता था।

(iv) पीडब्लू-3 ने कहा कि उसके रिश्तेदार नगराल ग्राम में रहते हैं, जो घटनास्थल से मात्र 4 किमी दूर है, फिर भी उसने उन्हें सूचना नहीं दी।

(v) पीडब्लू-3 ने देवपुरा में किसी व्यक्ति को अथवा बस के यात्रियों को घटना की सूचना नहीं दी। घटना लगभग 4:00 बजे हुई और पीडब्लू-3 को मृतक के पिता पीडब्लू-2 को सूचना देने में 18 घंटे से अधिक का समय लगा। इस दौरान, अवसर होने के बावजूद उसने मार्ग में स्थित पुलिस चौकी को भी सूचना नहीं दी।

(vi) पीडब्लू-3 ने स्वीकार किया कि उसे पीडब्लू-4 के उपचार की आवश्यकता का ज्ञान था, फिर भी उसने कोई ठोस प्रयास नहीं किया। जब मृतक एवं पीडब्लू-4 पर हमला हुआ, तब अभियुक्तों द्वारा पीडब्लू-3 पर हमला न करना असंगत प्रतीत होता है। उसका यह कथन कि वह बचकर झाड़ियों में छिप गया, कृत्रिम है। पीडब्लू-4 का यह कथन भी अविश्वसनीय है कि वह अस्पताल पहुँचने तक अचेत रहा। पीडब्लू-4 को दिए गए उपचार अथवा गुलबर्गा अस्पताल में उसकी शारीरिक स्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(vii) पीडब्लू-4 के पिता का नाम उसके बयान में 'सिद्दारामेगौड़ा' दर्शाया गया है, जबकि एमएलसी रजिस्टर में उसके पिता का नाम 'नरसप्पा' अंकित है।

(viii) चोट प्रमाणपत्र में यह उल्लेख है कि पीडब्लू-4 "स्वयं-स्वीकृत" था, जबकि चिकित्सक पीडब्लू-8 ने उसे अचेत बताया है। प्रमाणपत्र में यह भी उल्लेख है कि हमला रात्रि में हुआ, जबकि एफआईआर के अनुसार घटना दिन में लगभग 4:00 बजे हुई।

14. उच्च न्यायालय ने अपील में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन के इस कथन का समर्थन करती है कि मार्तंडप्पा की मृत्यु हत्या के कारण हुई थी। आगे यह भी कहा गया कि पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने घटना के उद्देश्य तथा घटना के घटित होने को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि पीडब्लू-4 का चोट प्रमाणपत्र उस पर हुए हमले के संबंध में उसके कथन की पुष्टि करता है।

15. विश्वसनीयता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय ने कहा कि पीडब्लू-4 एक घायल साक्षी है और उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अभियुक्त क्रमांक 1, 2, 7 एवं 8 ने मृतक पर डंडों से सिर एवं पीठ पर प्रहार किया, तथा अभियुक्त क्रमांक 3, 4 एवं 6 ने कुल्हाड़ी से हमला किया। उसके साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि अभियुक्त क्रमांक 7 ने मृतक पर चाकू से हमला किया तथा पीडब्लू-4 पर अभियुक्त क्रमांक 3 ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-4 का साक्ष्य स्वाभाविक है तथा उसकी सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह भी देखा गया कि हमले के पश्चात पीडब्लू-4 अचेत अवस्था में पाया गया और अगले दिन 12:30 बजे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। Ex.P8 के रूप में उपलब्ध चोट प्रमाणपत्र से यह परिलक्षित होता है कि पीडब्लू-4 अर्ध-चेतन अवस्था में था, जो उसके इस कथन का समर्थन करता है कि वह अचेत हो गया था और अस्पताल में भर्ती के समय अर्ध-चेतन स्थिति में था।

16. उपर्युक्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-4 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है तथा वह न केवल मृतक पर हुए हमले का साक्षी था, बल्कि स्वयं भी हमले का शिकार था।

17. उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-3 के साक्ष्य पर भी विचार किया, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि पीडब्लू-3 के पास अनेक विकल्प उपलब्ध थे–जैसे बस-स्टॉप पर उपस्थित व्यक्तियों को सूचना देना, नगराल ग्राम जाना या पुलिस को सूचना देना–किन्तु उसने मृतक के पिता पीडब्लू-2 को सूचित करने के उद्देश्य से ऐडभवी ग्राम जाना उचित समझा, क्योंकि वह इस घटना की सूचना देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति था। अतः उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-3 द्वारा अन्य व्यक्तियों को सूचना न देकर सीधे पीडब्लू-2 को सूचना देना उसके कथन को अविश्वसनीय बनाने का आधार नहीं हो सकता।उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के साक्ष्यों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर घटना सिद्ध होती है तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्त क्रमांक 1, 2, 7 एवं 8 ने मृतक पर डंडों से हमला किया, यद्यपि मृतक के शरीर पर ऐसी चोटें परिलक्षित नहीं होतीं।

18. आगे यह भी कहा गया कि अभियुक्त क्रमांक 3 से 6 के संबंध में पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के साक्ष्य संगत हैं और उनके हमले में सम्मिलित होने को सिद्ध करते हैं, जिससे उनकी दोषसिद्धि प्रमाणित होती है। अभियुक्त क्रमांक 3 से 6 द्वारा किए गए हमले की विधि चोट प्रमाणपत्र एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित चोटों से मेल खाती है।इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त क्रमांक 3, 4 एवं 5 की दोषमुक्ति को निरस्त करते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया तथा अभियुक्त क्रमांक 1, 2, 7 एवं 8 के संबंध में दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि की।उपर्युक्त कारणों के आधार पर विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के साक्ष्य को अविश्वसनीय मानते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

19. उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थियों ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में किसी त्रुटि का निष्कर्ष निकाले बिना ही संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर त्रुटि की है। उनका कहना है कि अपीलीय स्तर पर संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई गंभीर त्रुटि पाई जाए। आगे यह भी कहा गया कि यदि साक्ष्यों के मूल्यांकन से दो संभावित दृष्टिकोण निकलते हैं, तो केवल इस आधार पर कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है, विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटा नहीं जा सकता।

20. इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया, जिसके कारण अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया। यह भी कहा गया कि पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के साक्ष्यों को विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से अस्वीकार किया, जबकि उनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी था और दूसरा स्वयं हमले का शिकार था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि जब विचारण न्यायालय के निर्णय में गंभीर त्रुटि पाई जाती है, तब उच्च न्यायालय को संपूर्ण साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने का पूर्ण अधिकार है।

21. हमने पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

22. अब हम मुख्य प्रश्न पर विचार करते हैं, अर्थात् क्या उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति आदेश को पलटते हुए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराना उचित था।

23. प्रारंभ में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त क्रमांक 1 से 5 आपस में सगे भाई हैं तथा अभियुक्त क्रमांक 6 से 8, अभियुक्त क्रमांक 1 से 5 के रिश्तेदार हैं, जो ऐडभवी, तालुका लिंगसुगुर में निवास करते हैं। परिवादी पीडब्लू-2 (नरसप्पा) मृतक मार्तंडप्पा

का पिता है तथा पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4, पीडब्लू-2 के भतीजे हैं, जो ऐडभवी ग्राम में ही रहते हैं। अतः अभियुक्तगण, पीड़ितों एवं परिवादी के लिए अपरिचित नहीं थे।

24. अब हम आपराधिक अपील में हस्तक्षेप के दायरे से संबंधित विधिक स्थिति पर विचार करते हैं, क्योंकि यही इस चुनौती का आधार है। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता का अनुमान रहता है, जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए। यह अनुमान विचारण की प्रत्येक अवस्था में बना रहता है और जब मामला दोषमुक्ति पर समाप्त होता है, तब यह एक सुदृढ़ तथ्य के रूप में स्थापित हो जाता है। दोषमुक्ति के साथ यह अनुमान और भी सशक्त हो जाता है, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात अभियुक्त को निर्दोष पाया जाता है, जिससे अपील में इसे खंडित करने हेतु उच्च स्तर अपेक्षित होता है।

25. निस्संदेह, दोषमुक्ति का आदेश अपील के अधीन होता है तथा इस पर कोई विवाद नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि अपीलीय अधिकारों के प्रयोग में उच्च न्यायालय को साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या पुनः परीक्षण करने से रोका नहीं गया है। तथापि, यह शक्ति एक सीमित शक्ति है, विशेषकर तब जब चुनौती के अधीन आदेश दोषमुक्ति का हो।प्रथम और प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित एवं संपूर्ण मूल्यांकन किया है तथा सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार किया है।द्वितीय, क्या विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है या विधि अथवा तथ्य की त्रुटि से प्रभावित है।यदि ऐसा नहीं है, तो तृतीय विचारणीय पहलू यह है कि क्या विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण एक युक्तिसंगत एवं संभाव्य दृष्टिकोण है।केवल मतभेद के आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय को पलटना उचित नहीं है; इसके लिए अवैधता या विकृति का होना आवश्यक है।

26. यह भी उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामलों में दो दृष्टिकोणों की संभावना कोई असामान्य बात नहीं है। 'दो दृष्टिकोण सिद्धांत' को न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है, जो तब लागू होता है जब साक्ष्यों के मूल्यांकन से दो समान रूप से संभाव्य दृष्टिकोण सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में विवाद का समाधान अभियुक्त के पक्ष में किया जाना

चाहिए, क्योंकि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में एक संभाव्य दृष्टिकोण का अस्तित्व ही अभियोजन के मामले में युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न करता है।इसके अतिरिक्त, यह सिद्धांत भी स्थापित है कि यदि दोषमुक्ति के मामले में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण संभाव्य है, तो उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया जाए, तो विधि की दृष्टि में अधिकारों एवं दायित्वों का अंतिम निर्धारण करना लगभग असंभव हो जाएगा।सेल्वराज बनाम कर्नाटक राज्य में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है।

> "13. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों तथा साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, हमारे सुविचारित मत में, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभाव्य दृष्टिकोण था। अतः उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इस न्यायालय ने जगन एम. शेषाद्रि बनाम टी.एन राज्य। [(2002) 9 SCC 639] में यह प्रतिपादित किया है कि जब विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति दर्ज करते समय साक्ष्यों का मूल्यांकन एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण हो, तो अपील में उसमें हस्तक्षेप करना अनुमेय नहीं है। दोषमुक्ति को पलटते समय उच्च न्यायालय के कर्तव्य के संबंध में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:
>
> "9. ...हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निस्तारण कर रहा था। उसे उन विभिन्न आधारों पर विचार करना अपेक्षित था, जिनके आधार पर दोषमुक्ति प्रदान की गई थी, तथा उन आधारों को निरस्त करना आवश्यक था। ऐसा नहीं किया गया। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के निस्तारण के दौरान अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांतों की उपेक्षा उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। यदि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन किसी भी प्रकार की त्रुटि से ग्रस्त नहीं था, जैसा कि कि इस चुनौती दिए गए निर्णय में कोई त्रुटि इंगित नहीं की गई है, तो दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता था। विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया

> दृष्टिकोण एक युक्तिसंगत दृष्टिकोण था, और यदि कल्पना के स्तर पर यह माना भी जाए कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव था, तो भी वह दोषमुक्ति के आदेश को निरस्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।"
>
> (उद्धरण पर बल दिया गया)

संजीव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रासंगिक निर्णयों का विश्लेषण करते हुए दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रतिपादित किया। न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "7. यह विधि द्वारा स्थापित है कि:
>
> 7.1. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का विचार करते समय, यदि अपीलीय न्यायालय यह मानता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषमुक्ति को पलटा जाना चाहिए, तो उसे उन सभी कारणों पर विचार करना होगा, जिन्होंने विचारण न्यायालय को अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए प्रेरित किया (देखें: विजय मोहन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य, अनवर अली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य)।
>
> 7.2. विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के साथ, आपराधिक मामलों में निर्दोषता का सामान्य अनुमान और अधिक सुदृढ़ हो जाता है (देखें: एटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)
>
> 7.3. यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दो दृष्टिकोण संभव हों, तो अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए (देखें: संबासिवन बनाम केरल राज्य)।

27. इस प्रकरण में अभियोजन का मामला मुख्यतः पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के कथनों पर, विभिन्न दस्तावेजों–विशेषकर चिकित्सीय परीक्षण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट–के साथ आधारित है। पीडब्लू-3 घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। उसके कथन को विचारण न्यायालय ने "कृत्रिम" बताते हुए अस्वीकार कर दिया। पीडब्लू-3 ने बयान दिया कि दिनांक 28.06.1997 को लगभग 4:00 बजे जब अभियुक्तगण मृतक एवं पीडब्लू-4 पर हमला कर रहे थे, तब वह घटनास्थल पर उपस्थित था। उसने यह भी कहा कि जब वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तब A-3 ने पीडब्लू-4 पर प्रहार किया। पीडब्लू-4 पर पीछे से हमला किया गया और पीडब्लू-3 झाड़ियों के पीछे छिपने में सफल रहा।यह उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-3 झाड़ियों के पीछे छिपकर तब तक घटना देखता रहा जब तक मार्तंडप्पा की मृत्यु नहीं हो गई और पीडब्लू-4 अचेत नहीं हो गया। इसके पश्चात वह बाहर आया, स्थिति देखी और पुनः अपनी जान के भय से झाड़ियों के पीछे चला गया। उसने स्वीकार किया कि वह सूर्यास्त तक वहीं छिपा रहा। तत्पश्चात वह देवपुरा की ओर पैदल चल पड़ा, जबकि उसने यह भी स्वीकार किया कि उस मार्ग पर बसें चलती थीं। इसके बावजूद पीडब्लू-3 ने बस का उपयोग नहीं किया और पैदल ही देवपुरा गया। वहाँ पहुँचकर वह बस स्टैंड पर बैठा रहा। अगले दिन प्रातः 6:00 बजे ही उसने बस पकड़ी।दिनांक 28-29.06.1997 की मध्यरात्रि के दौरान पीडब्लू-3 ने अपना समय कैसे व्यतीत किया, इसका कोई स्पष्ट विवरण परिस्थितियों की श्रृंखला में नहीं मिलता। यह कथन कि वह पूरी रात बस स्टैंड पर बैठा रहा, जबकि एक ओर मार्तंडप्पा की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी ओर पीडब्लू-4 गंभीर रूप से घायल एवं अचेत अवस्था में पड़ा था, विश्वास उत्पन्न नहीं करता। विशेष रूप से तब, जब उसका झाड़ियों के पीछे छिपने का कारण अपनी जान का भय बताया गया है।ऐसी स्थिति में भी पीडब्लू-3 ने देवपुरा से ऐडभवी जाते समय मार्ग में स्थित पुलिस चौकी को सूचना देना उचित नहीं समझा और बस स्टैंड पर ही बैठा रहा। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके रिश्तेदार घटनास्थल से लगभग 4 किमी दूर नगराल ग्राम में रहते थे, फिर भी उसने उन्हें सूचित नहीं किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल पर अचेत पड़े पीडब्लू-4 को चिकित्सा सहायता दिलाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। यह स्थिति तभी स्वीकार्य

हो सकती थी यदि घटनास्थल पूर्णतः निर्जन होता, जबकि यहाँ यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि घटनास्थल बस मार्ग पर स्थित था और बसें चलती थीं।

28. हमले के लगभग 18 घंटे पश्चात पीडब्लू-3 ऐडभवी पहुँचा और पीडब्लू-2 को घटना की सूचना दी। उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-3 के इस आचरण को स्वाभाविक माना, यह कहते हुए कि वह पहले पीडब्लू-2 को सूचना देना चाहता था। ऐसा आचरण तभी उचित माना जा सकता था जब पीडब्लू-2 घटनास्थल के निकट रहता। किंतु पीडब्लू-3 द्वारा पीडब्लू-4 को चिकित्सा सहायता दिलाने या स्थानीय पुलिस से सुरक्षा प्राप्त करने का कोई प्रयास न करना, और इसके विपरीत 18 घंटे तक प्रतीक्षा करना, उसके कथन की विश्वसनीयता पर युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न करता है। यह परिस्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पीडब्लू-4, पीडब्लू-3 का चचेरा भाई था, कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं। ऐसी परिस्थिति में पीडब्लू-3 का आचरण एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के आचरण के अनुरूप नहीं है, और विचारण न्यायालय द्वारा इसे "कृत्रिम" कहना उचित था।

29. पीडब्लू-3 का आचरण उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति को ही संदिग्ध बनाता है। अनेक अभियुक्तों द्वारा किए गए गंभीर हमले के बावजूद उसे कोई चोट नहीं आई, जबकि उसके अनुसार A-3 ने पीडब्लू-4 पर हमला करते समय उसका पीछा किया था। यह अत्यंत संदेहास्पद है कि हमलावरों ने पीडब्लू-3 का पीछा झाड़ियों के पीछे तक नहीं किया, जबकि वे जानते थे कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी बन सकता है।झाड़ियों के पीछे छिपने के पश्चात की उसकी कहानी भी उतनी ही संदेहास्पद है और अनेक शंकाएँ उत्पन्न करती है। समय-क्रम , पीडब्लू-3 द्वारा अपनाया गया मार्ग, गंभीर रूप से घायल पीडब्लू-4 की पूर्ण उपेक्षा, पुलिस चौकी तक पहुँच होने के बावजूद सूचना न देना आदि ऐसे कारक हैं जो अभियोजन की संपूर्ण कहानी पर युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न करते हैं। अतः पीडब्लू-3 के कथन से निर्मित परिस्थितियों की श्रृंखला अभियुक्तों के दोषसिद्धि के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं है।

30. पीडब्लू-4 का कथन है कि उस पर अभियुक्त क्रमांक 3 (A-3) ने पीछे से हमला किया, जिसके पश्चात वह अचेत हो गया। उसके तथा पीडब्लू-3 के कथनानुसार, पीडब्लू-4 पर कुल्हाड़ी से उसके सिर, पीठ एवं अंडकोष पर प्रहार किया गया। इस कथन के समर्थन हेतु प्रथम दृष्टया हमले के पश्चात की परिस्थितियों का परीक्षण आवश्यक है। पीडब्लू-4 पर हमला लगभग सायं 4:00 बजे हुआ और वह तत्पश्चात अचेत हो गया। वह अगले दिन लगभग 12:30 बजे "स्वयं भर्ती" होने तक अचेत ही रहा।दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पीडब्लू-8 द्वारा शोरापुर के सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान जारी किए गए चोट प्रमाणपत्र से प्राप्त होता है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रमाणपत्र पर भरोसा करते हुए यह पाया कि भर्ती के समय पीडब्लू-4 की स्थिति के संबंध में विरोधाभास है–एक ओर उसे "स्वयं भर्ती" बताया गया है, जबकि दूसरी ओर उसे अचेत बताया गया है। उच्च न्यायालय ने इस विरोधाभास को यह कहते हुए महत्वहीन माना कि पीडब्लू-4 भर्ती के समय अर्ध-चेतन अवस्था में था, अतः वह स्वयं भर्ती हो सकता था। तथापि, पीडब्लू-4 के कथन में अंतर्विरोध केवल इसी बिंदु तक सीमित नहीं हैं।

31. चोट प्रमाणपत्र के अनुसार पीडब्लू-4 की चोटें साधारण प्रकृति की थीं। पीडब्लू-8 ने उसे कुछ उपचार दिया, परंतु उपचार का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया। इसके पश्चात उसे गुलबर्गा अस्पताल भेजा गया, जहाँ Ex.P12 के रूप में चोट प्रमाणपत्र तैयार किया गया, जिसमें भी चोटों को साधारण बताया गया। चोटों की प्रकृति का मूल्यांकन पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 द्वारा वर्णित हमले की प्रकृति के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। उनके अनुसार A-3 ने पीडब्लू-4 पर सिर, पीठ एवं अंडकोष जैसे संवेदनशील अंगों पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे वह तत्काल अचेत हो गया। सामान्य परिस्थितियों में, कुल्हाड़ी से इस प्रकार किए गए हमले, जिससे व्यक्ति तत्काल अचेत हो जाए और लगभग 20 दिनों तक अचेत रहे, को साधारण चोट नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब ऐसी चोटों के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता भी न पड़ी हो।

32. इसके अतिरिक्त, पीडब्लू-4 बस द्वारा शोरापुर अस्पताल गया, किंतु उसने किसी भी यात्री को हमले की सूचना नहीं दी। इतनी गंभीर चोटों, विशेषकर सिर पर चोट होने के

बावजूद, किसी ने उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वह लगभग 20 दिनों तक अचेत रहा और होश में आने के पश्चात उसका बयान पीडब्लू-10 द्वारा दर्ज किया गया। यह समझना कठिन है कि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, जो 20 दिनों तक होश में नहीं आया, वह स्वयं सार्वजनिक बस से अस्पताल कैसे पहुँचा और बाद में दूसरे स्थान के अस्पताल तक भी कैसे गया।यह भी समझ से परे है कि पीडब्लू-4 दो अलग-अलग अस्पतालों तक सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के लिए पर्याप्त रूप से सचेत था, किंतु लगभग 30 दिनों तक अन्वेषण अधिकारी पीडब्लू-10 को बयान देने में असमर्थ रहा। जिरह के दौरान पीडब्लू-4 ने कहा कि उसे केवल सिर और अंडकोष पर ही चोटें आई थीं, अन्य कोई चोट नहीं थी। यह कथन उसके पूर्व कथनों से महत्वपूर्ण विचलन है, क्योंकि प्रारंभिक कथनों में पीठ पर चोट होने का भी उल्लेख था। किंतु ऐसी कोई चोट प्रमाणपत्र में दर्ज नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि यह सुधार उसी कारण से किया गया।पीडब्लू-4 का साक्ष्य एक अन्य कारण से भी अविश्वसनीय है–घटना का समय। उसके अनुसार हमला लगभग 4:00 बजे हुआ, जबकि Ex.P12 (चोट प्रमाणपत्र) में चोट का समय रात्रि दर्शाया गया है। इसी प्रकार समय के संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी असंगतियाँ परिलक्षित होती हैं।

33. उल्लेखनीय है कि इन सभी पहलुओं का विचारण न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया था, किंतु उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सभी संदेहों को नज़रअंदाज़ कर दिया कि पीडब्लू-4 एक घायल साक्षी है और उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया–पहला, पीडब्लू-4 का बयान घटना के लगभग एक माह पश्चात दर्ज किया गया, जो उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है; और दूसरा, पीडब्लू-4 का मृतक से पारिवारिक संबंध, जिससे वह एक पक्षपाती साक्षी हो सकता है।सामान्य परिस्थितियों में, यदि किसी साक्षी का कथन स्पष्ट, संगत एवं विश्वसनीय हो, तो मात्र इस आधार पर कि वह संबंधित है, उसे अस्वीकार नहीं किया जाता। किंतु जब साक्ष्य अंतर्विरोधों से भरा हो और सहायक साक्ष्यों (जैसे चोट प्रमाणपत्र) से मेल न

खाता हो, तब न्यायालय का दायित्व है कि वह साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर उनकी वास्तविक विश्वसनीयता का आकलन करे।

34. यह महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों का गहन मूल्यांकन करने के पश्चात अपना निर्णय दिया था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका दृष्टिकोण विधिसम्मत एवं संभाव्य था। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाकर दोषमुक्ति के आदेश को पलट दिया, जबकि उसने विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता, विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि इंगित नहीं की।हमारे विचार में, उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में ऐसा करना उच्च न्यायालय के लिए अनुमेय नहीं था। दोषमुक्ति का आदेश, जो निर्दोषता के सुदृढ़ अनुमान को दर्शाता है, उसे मात्र मतभेद के आधार पर पलटना विधिसम्मत नहीं है। दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने के लिए निम्न स्तर का मानदंड अपनाना न्याय की विफलता का कारण बन सकता है।

35. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के स्वतंत्र मूल्यांकन का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि उच्च न्यायालय को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार था। तथापि, ऐसा करते समय उससे अपेक्षित था कि वह साक्ष्यों का सम्यक् एवं समग्र मूल्यांकन करे। वर्तमान प्रकरण में उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया। विचारण न्यायालय द्वारा जिन पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया था, उन पर भी उच्च न्यायालय ने पूर्णत: विचार नहीं किया और सीमित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचा।अभियोजन के मामले में जो परिस्थितियाँ युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न करती थीं, उन्हें उच्च न्यायालय ने नज़रअंदाज़ कर दिया। उदाहरणार्थ, समय से संबंधित विरोधाभास, जिनका विचारण न्यायालय ने सावधानीपूर्वक परीक्षण किया था, उनका उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण ही नहीं किया गया। इसी प्रकार, चोटों की प्रकृति से संबंधित विरोधाभासों पर भी कोई चर्चा नहीं की गई।अपील में, ठीक उसी प्रकार जैसे विचारण में, साक्ष्यों का मूल्यांकन समग्र दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है, न कि संकीर्ण दृष्टिकोण से। साक्ष्यों के मूल्यांकन का अर्थ है–सभी प्रासंगिक तथ्यों को एक-दूसरे के संदर्भ में परखना एवं तौलना। दोषसिद्धि

का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब समस्त तथ्यों की श्रृंखला एकमात्र निष्कर्ष–अभियुक्त के दोष–की ओर संकेत करे। आंशिक या चयनात्मक साक्ष्य का मूल्यांकन वस्तुतः मूल्यांकन ही नहीं है और इससे अव्यवहारिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।इस संदर्भ में इस न्यायालय ने सनवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में चेतावनी देते हुए कहा:

> "9. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :
>
> (1) अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश दिया गया है;(2) शिव स्वरूप [LR 61 IA 398] वाद में प्रतिपादित सिद्धांत ऐसे अपीलों के निस्तारण में अपीलीय न्यायालय के लिए सही मार्गदर्शक हैं; तथा(3) इस न्यायालय के निर्णयों में प्रयुक्त विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे(i) "पर्याप्त एवं ठोस कारण" (ii) "उचित तथा पर्याप्त रूप से संगत कारण" , तथा(iii) "प्रबल कारण" ।का उद्देश्य अपीलीय न्यायालय की उस निर्विवाद शक्ति को सीमित करना नहीं है, जिसके द्वारा वह दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा कर अपने निष्कर्ष पर पहुँच सकता है; **किन्तु ऐसा करते समय उसे न केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्येक ऐसे तथ्य पर विचार करना चाहिए जिसका तथ्यात्मक प्रश्नों पर प्रभाव हो तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के समर्थन में दिए गए कारणों पर भी विचार करना चाहिए, बल्कि अपने निर्णय में उन कारणों को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना चाहिए, जिनके आधार पर वह यह निष्कर्ष निकालता है कि दोषमुक्ति उचित नहीं थी।"**
>
> (उद्धरण पर बल दिया गया)

36. हमारी आपराधिक न्यायशास्त्र की मूल अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दोषी घोषित न किया जाए। आपराधिक विधि के सभी संरक्षण एवं न्यायशास्त्रीय मूल्य न्याय की विफलता को रोकने के लिए ही निर्मित किए गए हैं।

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय निम्नलिखित सिद्धांत लागू होते हैं:

(i) साक्ष्यों का मूल्यांकन आपराधिक विचारण का मूल तत्व है और ऐसा मूल्यांकन समग्र होना चाहिए–जिसमें मौखिक एवं दस्तावेजी, दोनों प्रकार के साक्ष्य सम्मिलित हों;

(ii) आंशिक या चयनात्मक साक्ष्य का मूल्यांकन न्याय की विफलता का कारण बन सकता है और यह अपने आप में चुनौती का आधार है;

(iii) यदि साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात न्यायालय के समक्ष दो संभावित दृष्टिकोण उपलब्ध हों, तो सामान्यतः अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए;

(iv) यदि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विधिसम्मत एवं संभाव्य है, तो केवल विपरीत दृष्टिकोण की संभावना मात्र से दोषमुक्ति को पलटा नहीं जा सकता;

(v) यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर दोषमुक्ति को पलटने का इच्छुक है, तो उसे विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक कारण का विशिष्ट रूप से उत्तर देना होगा तथा समस्त तथ्यों को समाहित करना होगा;

(vi) दोषमुक्ति से दोषसिद्धि में परिवर्तन के मामलों में, अपीलीय न्यायालय को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता, विकृति अथवा विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि विद्यमान है।

37. वर्तमान वाद में अपीलकर्ताओं ने एक पृथक तर्क प्रस्तुत किया है कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित न होकर पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, अतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। यह प्रस्तुति विभिन्न कारणों से त्रुटिपूर्ण है। प्रथम, पीडब्लू-3 एवं पीडब्लू-4 के कथित प्रत्यक्ष साक्ष्य का मूल्यांकन उनके स्वयं के बल पर किया जाना आवश्यक है, विशेषकर घटना के पश्चात उनके आचरण के संदर्भ में। उनके कथनानुसार वे अधिकतम घटना के पश्चात सहायक थे, तथापि उनका पश्चातवर्ती आचरण अत्यंत संदिग्ध एवं असंतोषजनक पाया गया, जिसके कारण उनकी गवाही अविश्वसनीय एवं अविश्वसनीयता के योग्य नहीं मानी गई, जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है।द्वितीय, विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में मामला मूलतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो जाता है, तथा तृतीय, अभियोजन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने में विफल रहा है। मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदनों के मध्य विरोधाभास, घटनास्थल से आवश्यक वस्तुओं की जब्ती में विफलता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के साधन का स्पष्टीकरण न देना, पीडब्लू-3 की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध न कर पाना, कथित चोटों का पुष्टिकरण न होना आदि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में गंभीर कमियाँ हैं।इस संदर्भ में, शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय का उल्लेख समीचीन है, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के "पंचशील" अथवा पाँच सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं:

> "153. इस निर्णय के सूक्ष्म विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध माने जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है:
>
> (1) जिन परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने 'हो सकती हैं' (शायद) के स्थान पर 'होनी चाहिए' ((ज़रूर होना चाहिए या होना चाहिए) शब्दों का प्रयोग किया है। 'सिद्ध किया जा सकता है' एवं 'सिद्ध

किया जाना चाहिए' के मध्य केवल व्याकरणिक ही नहीं, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 SCC 793]में प्रतिपादित किया गया है, जहाँ यह कहा गया:

"यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्त 'दोषी हो सकता है' मात्र नहीं, बल्कि 'दोषी होना चाहिए'; 'शायद' और 'ज़रूर होगा' के मध्य मानसिक दूरी अत्यंत व्यापक है, जो अस्पष्ट अनुमान एवं निश्चित निष्कर्ष के बीच विभाजन रेखा खींचती है।"

(2) स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना से समझाए जाने योग्य न हों;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) वे प्रत्येक संभावित वैकल्पिक परिकल्पना को निरस्त करती हों, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध किया जाना है; तथा

(5) साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुकूल किसी भी युक्तिसंगत संभावना को समाप्त कर दे तथा यह प्रदर्शित करे कि सामान्य मानवीय संभावना के अनुसार अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।"

38. वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ न तो निर्णायक हैं और न ही उनसे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए न्यायालय का यह संतोष होना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध "अवश्य किया है" (होना आवश्यक है), न कि केवल "कर सकता है" (हो सकता है) । जैसा कि शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में प्रतिपादित किया गया है, यह अंतर मात्र व्याकरणिक न होकर विधिक ह

39. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के निर्णय को बिना किसी अवैधता, विकृति या तर्क में त्रुटि का निष्कर्ष निकाले ही उलट दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। साक्ष्यों के स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन पर भी हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत नहीं हो सकते। अतः विवादित निर्णय एवं आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत बहाल किया जाता है। परिणामतः अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी किया जाता है तथा यदि वे अभिरक्षा में हों तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

40. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, वे भी निरस्त माने जाएंगे।

41. पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

प्रकरण का परिणाम: **अपील का निस्तारण किया गया।**

शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार किया गया है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।